राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
उच्च शिक्षा निदेशालय,
खंड–बी, दूसरा तल, 5 शामनाथ मार्ग, दिल्ली–54

अतारांकित प्रश्न संख्या :– 239 (अतारांकित)
दिनॉक :– 23 मार्च 2018
प्रश्नकर्ता का नाम :– श्री पंकज पुष्कर
क्या उपमुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क. सं.	प्रश्न	उत्तर
क.	क्या यह सत्य है कि दिल्ली में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने वाली छात्रों की काफी बड़ी संख्या को दिल्ली विश्वविद्यालय के नियमित महाविद्यालयों में प्रवेश नही मिलने पर अधिकतर छात्र स्कूल ऑफ ओपन लर्निगं में प्रवेश लेने के लिए बाध्य होते हैं;	जी, हाँ ।
ख.	क्या यह भी सत्य है कि अभी एस.ओ. एल. में चार लाख के करीब विद्यार्थियों का नामांकन है और इन्हें मिलने वाली सुविधा और शिक्षा की गुणत्ता काफी खराब है;	2016–17 में 413339 विद्यार्थी पंजीकृत थे । एस.ओ. एल. द्वारा मिलने वाली सुविधा और शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में दिल्ली विश्वविद्यालय ही टिप्पणी कर सकता है । एस. ओ. एल पर प्रशासनिक नियंत्रण दिल्ली विद्यालय का है।
ग.	यदि हाँ, तो ऐसे छात्रों को उच्च गुणवत्ता की जीवन–उपयोगी शिक्षा मिल सके, इस दिशा में सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे है ?	
घ.	इस छात्र वर्ग जो दूरस्थ ग्रामीण इलाकों से निम्न आय वर्ग और गम्भीर सामाजिक पृष्ठभूमि से आते है, के लिए होस्टल सुविधा न होने की गम्भीर समस्या के समाधान की दिशा में क्या दिल्ली सरकार की कोई योजना प्रस्तावित है;	एस. ओ. एल द्वारा शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय की नीतियों के अनुसार दी जाती है । छात्रों हेतु विभिन्न सुविधायें दिल्ली विश्वविद्यालय की नीति द्वारा निर्धारित की जाती है ।
च.	छात्रों का एक वर्ग दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली विश्वविद्यालय के खिलाफ याचिका लेकर गया है कि हॉस्टल, रीडिग रूम, लाईबेरी और सस्ती कैन्टीन की व्यवस्था दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा नही की गई है क्या दिल्ली सरकार इन समस्याओं के निदान के लिए किन्ही योजनाओं पर कार्य कर रही है ;	वर्तमान मे ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है ।
छ.	क्या दिल्ली की जनता के प्रतिनिधि होने के नाते दिल्ली सरकार दिल्ली विश्वविद्यालय से इस विषय में कोई संवाद कर रही है; और	
ज.	यदि हाँ, तो प्रगति से बवगत करवाएं ?	

अरविंद जैन
प्रशासनिक अधिकारी

Scanned by CamScanner